राजस्थान सरकार

प्रशासनिक सुधार (अनु.-3) विभाग

क्रमांक: प0.6(17)प्रसु/अनु0-3/2002 — जयपुर, दिनांक: 27/5/2002

देवस्थान वक्फ एवं नैतिक कल्याण विभाग द्वारा जारी आदेश संख्या प. 15(20)राज/3/85, दिनांक 18.6.1992 के अतिक्रमण में राजस्थान के ग्रामीण अंचलों में राजकीय विज्ञापित मंदिरों के अलावा, अर्थात् जो अराजकीय मंदिर/पूजा स्थल स्थित है, उनकी उचित व्यवस्था हेतु तहसील स्तर पर निम्नलिखित प्रकार से समितियों का गठन किया जाता है :-

1.	नायब तहसीलदार	अध्यक्ष
2.	निरीक्षक, देवस्थान विभाग	सदस्य
3.	पंचायत समिति द्वारा मनोनीत एक सदस्य	सदस्य

समितियों द्वारा अधोलिखित कार्य सम्पादित किये जाते हैं :-

1. ग्रामीण अंचलों में स्थित विभिन्न गांवों में धार्मिक स्थलों की भूमि पर होने वाले अतिक्रमण/नाजायज कब्जे और अनाधिकृत रूप से [illegible] की भूमि में खातेदारी दर्ज कराने की घटनाओं को प्रभावी ढंग से रोकना तथा उन्हें मुक्त कराना।
2. धार्मिक स्थलों के स्थानीय व्यक्तियों की आस्था और विश्वास के अनुरूप संरक्षण और विकास हेतु समुचित कार्यवाही करना।
3. धार्मिक स्थलों की भूमि का उचित प्रबन्ध एवं उस भूमि को [illegible] उचित व्यक्तियों को काश्त के लिए अथवा अन्य कार्यों हेतु अस्थायी रूप से आवंटित करना और प्राप्त होने वाली आय को मन्दिर के प्रबन्ध/सेवा-पूजा/धार्मिक आयोजनों आदि में उचित ढंग से लगाना एवं मन्दिर का समुचित विकास करना।
4. धार्मिक स्थलों के विकास के लिए जन सहयोग प्राप्त करना।
5. धार्मिक स्थलों पर परम्परा और आस्था अनुसार पुजारियों व अन्य कर्मचारियों का प्रबन्ध करना।

6. एक तहसील में एक से अधिक समितियाँ भी हो सकती हैं। एक समिति 10 से 15 मन्दिरों की देखभाल करेगी। यदि इससे अधिक मन्दिर तहसील में अवस्थित हैं तो जिला कलेक्टर अपने स्तर से नायब तहसीलदारों को मन्दिरों का कार्य आवंटन करेंगे।

...2

7\. मन्दिर की सुव्यवस्था एवं सेवा-पूजा हेतु उनकी समस्त आय, चढ़ावा आदि वित्तीय कार्य निकटस्थ बैंक अथवा डाकघर में खाता खोलकर किया जायेगा। इस खाते का संचालन संयुक्त रूप से उपरोक्त समिति के दो सदस्य करेंगे जिनमें से कम से कम एक राजकीय कर्मचारी होगा।

उक्त समिति की बैठक माह में कम से कम एक बार आयोजित की जानी आवश्यक है। बैठक की कार्यवाही की सूचना संबंधित सहायक आयुक्त को अनिवार्य भेजी जायेगी।

आज्ञा से,

उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

(1) सचिव, राज्यपाल महोदय, राज० जयपुर।
(2) सचिव, प्रमुख/विशिष्ट माननीय मुख्यमंत्री महोदय राज० जयपुर।
(3) निजी सचिव, माननीय देवस्थान वक्फ एवं सैनिक कल्याण राज्यमंत्री महोदय राज० जयपुर।
(4) निजी सचिव, मुख्य सचिव, राज० जयपुर।
(5) निजी सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग राज० जयपुर।
(6) निजी सचिव, सचिव, देवस्थान विभाग।
(7) समस्त विभागाध्यक्ष (संबंधित) प्रशासनिक विभाग के माध्यम से।
(8) समस्त सदस्यगण प्रशासनिक विभाग के माध्यम से।
(9) निदेशक सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग राज० जयपुर।
(10) रक्षित पत्रावली।

उप शासन सचिव

कार्यालय जिला कलेक्टर, चित्तौड़गढ़

क्रमांक/राजस्व/कार्य देव/नियम/परि./82 2824 दिनांक 20 जुलाई, 2002

प्रतिलिपि सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1- आयुक्त, देवस्थान विभाग उदयपुर
2- अति.कलेक्टर (प्रशा.) चित्तौड़गढ़/अति.कलेक्टर प्रतापगढ़
3- समस्त उपखण्ड अधिकारी जिला चित्तौड़गढ़
4- समस्त तहसीलदार (ब्लाक) जिला चित्तौड़गढ़
5- समस्त विकास अधिकारी पंचायत समिति जिला चित्तौड़गढ़ पास प्रेषित कर लेख है कि एक सदस्य उक्त समिति के लिए मनोनीत करें।
6- नायब तहसीलदार, पारसोली, भादसोड़ा, देवगढ़, भूपालसागर
7- निरीक्षक देवस्थान विभाग उदयपुर

जिला कलेक्टर
चित्तौड़गढ़